N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0239 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 17/09/2025 15:59 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 04/07/2025 **Date To (दिनांक तक):** 05/07/2025
   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 13:00 बजे **Time To (समय तक):** 16:42 बजे
   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 16/09/2025 **Time (समय):** 17:00 बजे
   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 17/09/2025 15:59:54 बजे
4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित
5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 370 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE
   (b) **Address(पता):** KASBA PRATAPGARH, JILA PRATAPGARH
   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**
   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) **Name(नाम):** SADDAM HUSEN

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** KHAJU HUSEN AJMERI

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1990 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GADOLA, RATHANJANA, PRATAPGARH, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GADOLA, RATHANJANA, PRATAPGARH, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	MAHENDRA SINGH AND OTHER		पिता:VIJAY SINGH	1. ADARSH COLONY,KUMBHA NAGAR,CHITTORGARH,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		40,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 40,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि प्रार्थी श्री सद्दाम हुसेन पिता खाजू हुसेन अजमेरी जाति मुसलमान उम्र 35 साल निवासी गादोला थाना रठांजना जिला प्रतापगढ राजस्थान ने दिनांक 04.07.2025 को ब्यूरो चौकी प्रतापगढ उपस्थित हो एक हस्त लिखित रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि "दिनांक 19.01.2025 को श्री दीपक बंजारा सी.आई. साहब उनकी टीम द्वारा मेरे मामा श्री अनवर अजमेरी को जो बागलिया के रहने वाले हैं। उनको गजपुरिया बोर्डर पर जाखड बस से समय 07.30 ए.एम. पर एक बेग उतार कर उसमें 2 किलो फर्जी सामान रखकर उनको जबरन उठाकर कच्चे रास्ते मे लेकर प्रतापगढ ले गये व 2 घण्टे के बाद बसाड के पास अनवर की मोटर साईकिल पर जबरन एक बेग टांगकर वीडियो बनाकर फर्जी एन.डी.पी.एस. एक्ट का मुकदमा बनाया। फिर अनवर का रिमांड लेकर दीपक बंजारा सी.आई. व उनकी टीम ने अनवर के साथ काफी मारपीट कर धमकाया की घर से 50 लाख रूपये मंगवा नही तो तेरे लडके खालिद, जाहिद व तेरे भांजे सदाम हुसैन को धारा 29 में फसायेंगे फिर महेन्द्र सिंह ए.एस.आई. से बातचित हुई तो उन्होने कहा कि यह रूपये दीपक बंजारा सी.आई. साहब व उपर के अफसरो के पास जायेंगे। बडी मुश्किल से मामला 22 लाख रूपयों में तय हुआ। हमने अनवर की 5 बीघा जमीन बेचकर 22 लाख रूपये श्री महेन्द्र सिंह ए.एस.आई. के मांगने पर उनको दिये। दिनांक 05.02.2025 को शाम 5 बजे के करिब मुझे पुलिस ने प्रतापगढ थाने मे बुलाया व कहा कि तुने दीपक कुमार मेघवाल रठांजना थानेदार के खिलाफ मारपीट कर रूपये लेने की जो शिकायत कर रखी हैं। उसे वापस ले ले नही तो अभी तेरी गाडी में कोई सामान/स्मेक रखकर के केस बना देंगे। मैं डर गया और दीपक कुमार बंजारा सी.आई. ने जबरन मेरे से लिखापढी करवा के राजीनामें के कागजातों पर दस्तखत कराके मुझे कोर्ट में ले गये जहां पर भी राजीनामें की लिखापढी कर दस्तखत करा के मुझे डी.वाई.एस.पी. साहब प्रतापगढ के ऑफिस में ले गये। साथ में दीपक कुमार बंजारा सी.आई. दीपक कुमार मेघवाल थानेदार रठांजना, महेन्द्र सिंह ए.एस.आई. थे। जिन्होने विडियो बनाकर के दबाव डालकर के डराकर जबरन राजीनामें के बयान लिखवाकर दस्तखत करवा लिये। इसके बाद दिनांक 27.06.2025 को मुझे महेन्द्र सिंह ए.एस.आई. ने प्रतापगढ थाने के बाहर होटल में बुलाया और कहा कि अनवर से केस में जो मोटर साईकिल पकडी हैं। वह तेरे बहनोई शेरू अजमेरी निवासी अरनिया मध्यप्रदेश के नाम पर हैं तु इसका नाम चालान मे निकलवाना चाहता हैं तो मुझे एक लाख रूपये और देना पडेगा। यह रूपये दीपक बंजारा सी.आई साहब व उपर के अफसर लेंगे। मेरे पास 30 हजार रूपये उस समय पड़े थे जो महेन्द्र सिंह ए.एस.आई. के मांगने पर उनको मैने डर के कारण दे दिये। बाकि 70 हजार रूपये ओर बाद में लेने की बात हुई हैं। मैं अब महेन्द्र सिंह ए.एस.आई. को रूपये देना नही चाहता हुं। आपसे उसे भ्रष्टाचार के केस में पकडवाना चाहता हुं। मेरी महेन्द्र सिंह ए.एस.आई. व दिपक बंजारा थानाधिकारी प्रतापगढ़ से कोई भी दुश्मनी व रंजीश नही हैं और किसी प्रकार की पुरानी लेन-देन बकाया नही हैं, रिपोर्ट पेश हैं। कानूनी कार्यवाही की जावें। इत्यादी प्रस्तुत की गई।" दिनांक 06.07.2025 को समय 06.00 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिनांक 04.07.2025 का आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 05.07.2025 का राजपत्रित अवकाश का उपभोग कर दिनांक 06.07.2025 को उपस्थित ब्यूरो चौकी हुआ। इस समय दर्ज रहे कि दिनांक 04.07.2025 को समय 12.10 पी.एम. पर श्री हेमेन्द्र सिंह कानि. नं. 82 ब्यूरो कार्यालय प्रतापगढ द्वारा जरिये वाट्सअप कॉल मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत करवाया कि परिवादी श्री सद्दाम हुसेन पिता खाजू हुसेन अजमेरी निवासी गादोला थाना रठांजना जिला प्रतापगढ राज. ब्यूरो कार्यालय प्रतापगढ़ उपस्थित आया है। उसी दौरान परिवादी श्री सद्दाम हुसेन द्वारा जरिये मोबाईल मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से वार्ता कर बताया कि मेरे को ट्रेप कार्यवाही करवानी हैं। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अवकाश में होना बताकर अवगत करवाया कि आप श्री हेमेन्द्र सिंह कानि. से ट्रेप कार्यवाही से पूर्व रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही के बारे में जानकारी प्राप्त करें। जिस पर परिवादी द्वारा ए.सी.बी. चौकी बांसवाडा जाकर कार्यवाही हेतु कहा गया तो मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अवगत करवाया गया कि सत्यापन की कार्यवाही आप अभी करवा सकते हैं या आप चाहे तो पुरी ट्रेप कार्यवाही ए.सी.बी. चौकी बांसवाडा से करवा सकते हैं या आप उप महानिरीक्षक कार्यालय उदयपुर सम्पर्क कर सकते हैं वो यह कार्यवाही किसी भी चौकी के अधिकारी से करवा सकते हैं। जिस पर परिवादी द्वारा बताया गया कि मैं श्री हेमेन्द्र सिंह कानि. से अग्रीम कार्यवाही के बारे में वार्ता कर रहा हुं तथा रिपोर्ट पेश कर रहा हुं। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री हेमेन्द्र सिंह कानि. को निर्देशित किया गया कि आप परिवादी को ब्यूरो की ट्रेप कार्यवाही के बारे में अवगत करावें तथा परिवादी द्वारा रिपोर्ट

पेश की जाती हैं तो प्राप्त कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत करा नियमानुसार रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही करें। समय 01.00 पी.एम. पर परिवादी श्री सद्दाम हुसेन द्वारा एक हस्तलिखित रिपोर्ट श्री हेमेन्द्र सिंह कानि. को पेश की। जिस पर परिवादी से प्राप्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में श्री हेमेन्द्र सिंह द्वारा जरिये वाट्सअप कॉल मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत करवाया गया, मामला ट्रेप कार्यवाही का पाया जाने से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही करवाने हेतु जरिये वाट्सअप कॉल श्री हेमेन्द्र सिंह कानि. को पूछने पर कानि. ने बताया कि परिवादी ने कहा हैं कि संदिग्ध अधिकारी श्री महेन्द्र सिंह एएसआई साहब आज मुझसे नही मिलेगे उन्होने मुझे कल दिनांक 05.07.2025 को मिलने के लिए प्रतापगढ़ बुलाया है, मैं कल आपसे सम्पर्क करूंगा। जिस पर परिवादी को मन् अति. पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री हेमेन्द्र सिंह कानि. ने कार्यवाही की गोपनीयता रखने एवं आवश्यक समझाईश कर रूखसत किया। परिवादी द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र को ब्यूरो कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। तत्पश्चात दिनांक 05.07.2025 को समय 04.20 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को श्री हेमेन्द्र सिंह कानि 82 द्वारा जरिये वाट्सअप कॉल अवगत करवाया गया कि परिवादी श्री सद्दाम हुसैन ने जरिये व्हॉट्सएप कॉल सम्पर्क कर मुझे बताया कि आज श्री महेन्द्र सिंह एएसआई साहब से मिलने जाना है उन्होने मुझे आज मिलने बुलाया था, आज वो रिश्वत की मांग कर सकते है इसलिए आप मुझे वेलोसिटी प्रतापगढ़ शहर मेरे परिचित के घर पर आकर मिलना। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने ब्यूरो कार्यालय के मालखाना प्रभारी श्री दिलीप कुमार कानि 319 को श्री हेमेन्द्र सिंह कानि. को ब्युरो का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय नई रिक्त मेमोरी कार्ड उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित किया गया तथा श्री हेमेन्द्र सिंह कानि को ब्यूरो कार्यालय के मालखाना प्रभारी श्री दिलीप कुमार कानि 319 से ब्यूरो के मालखाने मे ब्युरो का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय नई रिक्त मेमोरी कार्ड प्राप्त कर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर साथ लेकर वेलोसिटी कॉलोनी प्रतापगढ़ जाकर परिवादी से सम्पर्क कर मांग सत्यापन कार्यवाही कर हालात से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया जाकर कार्यालय से रूखसत किया गया था। तत्पश्चात समय 09.00 पीएम पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक को श्री हेमेन्द्र सिंह कानि द्वारा जरिये व्हॉट्सएप कॉल कर अवगत कराया की आप द्वारा दिए गए निर्देशानुसार कार्यालय के मालखाना प्रभारी श्री दिलीप कुमार कानि से ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में नयी मेमोरी कार्ड प्राप्त कर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय नयी मेमोरी कार्ड डालकर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु मय ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर लेकर समय करीबन 04.30 पीएम पर ब्यूरो इकाई से रवाना हो करीबन 10 मीनट बाद परिवादी श्री सद्दाम हुसैन के परिचित के घर वेलोसिटी कॉलोनी प्रतापगढ़ पहुंचा। जहां परिवादी उपस्थित मिला। जिसे मेरे द्वारा ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के संचालन की प्रक्रिया समझाई गई और समय 04.42 पीएम पर परिवादी के मोबाईल नं से संदिग्ध श्री महेन्द्र सिंह एएसआई के मोबाईल नं पर जरिये व्हॉट्सएप कॉल लगवाया जाकर परिवादी के मोबाईल को लाउडस्पीकर पर रखवा वार्ता करवायी गयी तो संदिग्ध ने परिवादी को "आ ओ आकर फोन करो"कहा गया उक्त वार्ता को ब्युरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालु कर रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद परिवादी ने बताया की श्री महेन्द्र सिंह एएसआई साहब मुझसे सीधे नही मिलेगे मै अपने मित्र श्री अल्ताफ निवासी गादोला को साथ लेकर जाउंगा तो ही वो मुझसे बात करेगें क्योंकि अल्ताफ एएसआई साहब का जानकार है अल्ताफ को मेरे द्वारा एसीबी की करवाई जा रही कार्यवाही के बारे में जानकारी नही है आप मुझे डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालु कर दे दो, मै अल्ताफ को साथ लेकर एएसआई साहब से मिलने जाता हु। जिस पर श्री हेमेन्द्र सिंह कानि. द्वारा हालात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये वाट्सअप कॉल पर अवगत करवाये जाकर समय करीब 05.03 पीएम पर ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ चालु कर श्री हेमेन्द्र सिंह कानि. द्वारा परिवादी श्री सद्दाम हुसैन को सुपूर्द कर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड करने की आवश्यक हिदायत देकर श्री अल्ताफ को अपने साथ लेकर श्री महेन्द्र सिंह एएसआई द्वारा बताए स्थान पर जाकर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु रवाना कर कानि. परिवादी के पीछे-पीछे अपनी उपस्थिती छुपाते हुए परिवादी, परिवादी के मित्र अल्ताफ एवं श्री महेन्द्र सिंह एएसआई पर निगरानी रखे हुए रहा तो परिवादी श्री सद्दाम हुसैन अपने मित्र श्री अल्ताफ के साथ अमलावद-प्रतापगढ मार्ग पर नायरा पेट्रोल पम्प के सामने किराणा की दुकान पर आकर रूके, कुछ समय बाद एक व्यक्ति एक कार लेकर वहां आया कार से उतरने पर मैने दूर से उसे देखा तो वह महेन्द्र सिंह ए.एस.आई. था। महेन्द्र सिंह ए.एस.आई. वहां आते ही किराणा की दुकान के दांए, बांए देखकर दुकान के अन्दर चला गया, जहां परिवादी श्री सद्दाम हुसेन व उसके मित्र अल्ताफ व महेन्द्र सिंह ए.एस.आई. तीनो आपस में श्री अल्ताफ के मकान में बनी किराणा की दुकान में बैठकर बातचीत कर रहे थे। मै कुछ दूरी पर अपनी उपस्थिति छुपाते हुए मुकिम रहा। करीबन 08.40 पीएम पर परिवादी श्री सद्दाम हुसैन अमलावद-प्रतापगढ मार्ग पर पुलिये के नजदीक मेरे पास आकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ मुझे सुपुर्द किया जिसे मैने बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। तत्पश्चात परिवादी ने बताया की मेरी श्री महेन्द्र सिंह एएसआई साहब से रिश्वत सम्बन्धि वार्ता हो गई है और मैने उनके द्वारा मांगने पर मेरे पास पडे हुए मेरे निजी कार्य के उपयोग हेतु राशि 40,000/- हजार रूपये पडे थे जो मैने उनके मांगने पर दे दिये।श्री महेन्द्र सिंह एएसआई साहब द्वारा मेरे मे उसी समय पुछा गया कि यह कितने हैं तो मैने 40,000/- कहा हैं। जिसमें मैने जानबुझकर एक नोट नकली व तीन नोट कम दिये थे ताकि श्री महेन्द्र सिंह एएसआई साहब मेरे से इस बारे में पुनः चर्चा करेंगे तो मैं आपके डिजिटल वॉईस रिकार्डर

मय मेमोरी कार्ड में रिकार्ड करवा सकूं। इसके बाद परिवादी ने बताया की श्री महेन्द्र सिंह ने मुझे कल फिर बकाया राशि 20,000/- रूपये लेकर आने को कहा है। परिवादी ने कहा की मैने उपरोक्त वार्ता को ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया है। तत्पश्चात परिवादी को मांग सत्यापन वार्तानुसार संदिग्ध को दी जाने वाली रिश्वती राशि की व्यवस्था के बारे मे पुछा तो बताया कि राशि की व्यवस्था अभी नही हो पाएगी कल मुझे श्री महेन्द्र सिंह एएसआई साहब ने राशि लेकर वापस बुलाया है और इसी प्रकरण में मेरे मिलने वाले भूरा से भी एएसआई साहब ने मुझसे कहा है की उनके रूपयो के सम्बन्ध में वार्ता कर व्यवस्था करवा तो उसका भी निपट दुंगा। मै एएसआई साहब को किसी प्रकार की रिश्वत राशि नही देना चाहता हुं मै कल उनसे मिलुंगा और इसी प्रकरण में मुल्जिम भूरा के रिश्वत राशि की भी मांग मुझसे कर सकते है। मैं उस बारे मै कल दिनांक 06.07.2025 को एएसआई से मिलकर बात करूंगा, उससे पहले आपके कार्यालय में सम्पर्क करूंगा। जिस पर परिवादी को मामले की गोपनियता बरतने की हिदायत देते हुए कल दिनांक 06.07.2025 ब्यूरो इकाई प्रतापगढ़ आने एवं मन् कानि के मोबाईल पर सम्पर्क करने की हिदायत देकर रूकसत किया तत्पश्चात उक्त स्थान से रवाना हो समय करीबन 10.00 पीएम पर ब्यूरो ईकाई पर उपस्थित हुआ तथा निर्देशानुसार श्री हेमेन्द्र सिंह कानि. ने ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ कार्यालय के मालखाने में सुरक्षित रखने हेतु श्री दिलीप कुमार कानि. मालखाना प्रभारी को सम्भलवाया। तत्पश्चात दिनांक 06.07.2025 को समय 03.30 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को श्री हेमेन्द्र सिंह कानि 82 द्वारा जरिये वाट्सअप कॉल अवगत करवाया गया कि परिवादी श्री सद्दाम हुसैन ने जरिये व्हॉट्सएप कॉल सम्पर्क कर मुझे बताया कि मेरे रिश्वत राशि 20,000/- की अभी व्यवस्था नही हो पाई है और आज श्री महेन्द्र सिंह एएसआई साहब से मिलने जाना है उन्होने मुझे आज भी मिलने बुलाया था "आज वो इसी केस में अन्य मुल्जिम भूरा के मामले में भी रिश्वत की मांग कर सकते है इसलिए आप मुझे गादोला गांव आकर मिलो।" जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा की दृष्टि एवं संदिग्ध बडा शातीर होने से श्री दिलीप कुमार कानि को जरिये वाट्सअप कॉल ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड जिसमें दिनांक 05.07.2025 को परिवादी, अल्ताफ एवं श्री महेन्द्र सिंह एएसआई के मध्य रिश्वत सम्बन्धि दो बार वार्ता हुई थी जिसे डिजिटल वॉइस रिकार्डर से मूल ही निकलवाया जाने के निर्देश देते हुए उक्त मेमोरी कार्ड को सुरक्षित मालखाने में रखने के निर्देश दिये तथा श्री हेमेन्द्र सिंह कानि को नया रिक्त मेमोरी कार्ड एवं डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर श्री दिलीप कुमार कानि से प्राप्त कर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर साथ लेकर गांव गादोला प्रतापगढ़ जाकर परिवादी से सम्पर्क कर मांग सत्यापन कार्यवाही कर हालात से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया जाकर कार्यालय से रूखसत किया गया था तत्पश्चात समय 04.35 पीएम पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक को श्री हेमेन्द्र सिंह कानि द्वारा जरिये व्हॉट्सएप कॉल कर अवगत कराया की आप द्वारा दिए गए निर्देशानुसार कार्यालय के मालखाना प्रभारी श्री दिलीप कुमार कानि से ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय नई मेमोरी कार्ड प्राप्त कर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय नई मेमोरी कार्ड डालकर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु मय ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर लेकर समय करीबन 03.40 पीएम पर ब्यूरो इकाई से रवाना हो पौने घण्टे बाद परिवादी श्री सद्दाम हुसैन के गांव गादोला पहुंचा। जहां परिवादी श्री सद्दाम हुसैन उपस्थित मिला। जिस पर समय करीब 04.23 पीएम पर परिवादी के मोबाईल नं से संदिग्ध श्री महेन्द्र सिंह एएसआई के मोबाईल नं. पर जरिये व्हॉट्सएप कॉल लगवाया जाकर परिवादी के मोबाईल को लाउडस्पीकर पर रखवा वार्ता करवायी गयी तो संदिग्ध ने परिवादी से रिश्वत राशि की मांग करते हुए दिनांक 05.07.2025 को परिवादी से ग्रहण किए गए 40,000/-रूपये तथा उसमें तीन नोट कम रखने तथा एक नोट नकली रखने के सम्बन्ध में स्वयं संदिग्ध श्री महेन्द्र सिंह एएसआई द्वारा बताया गया के सम्बन्ध में वार्ता की गई। उक्त वार्ता को ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालु कर रिकॉर्ड किया गया। बाद वार्ता के रिकॉर्डर को बन्द कर सुरक्षित अपने पास रख लिया। तत्पश्चात परिवादी को मांग सत्यापन वार्तानुसार संदिग्ध को दी जाने वाली रिश्वती राशि की व्यवस्था के बारे मे पुछा तो बताया कि सर कल तो राशि की व्यवस्था होना संभव नही है। मै दिनांक 08.07.2025 तक राशि की व्यवस्था कर आपसे सम्पर्क करूंगा और अभी साहब ने भूरा वाली राशि के सम्बन्ध में पूर्ण बातचीत नही की है। इसके लिए उसके भूरा से ही बात कराने हेतु कहा गया है। इसलिए मै शेष राशि 22,000/- रूपये की व्यवस्था कर सम्पर्क करूंगा। जिस पर परिवादी को मामले की गोपनियता बरतने की हिदायत देते हुऐ रिश्वत राशि की व्यवस्था होते ही ब्यूरो इकाई प्रतापगढ़ आने एवं मन् कानि के मोबाईल पर सम्पर्क करने की हिदायत देकर रूकसत किया तत्पश्चात गादोला गांव से रवाना हो समय करीबन 05.30 पीएम पर ब्यूरो ईकाई पर उपस्थित हुआ तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री हेमेन्द्र सिंह कानि. ने ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ कार्यालय के मालखाने में सुरक्षित रखने हेतु श्री दिलीप कुमार कानि मालखाना प्रभारी को सम्भलवाया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बाद सी.एल. अवकाश/राजकीय अवकाश उपभोग के दिनांक 06.07.2025 को समय 06.00 पी.एम. पर ब्यूरो चौकी पर समय उपस्थित हुआ। जिस पर आज कानि श्री हेमेन्द्र सिंह को अपने कार्यालय कक्ष में तलब किया गया तो कानि द्वारा उपस्थित होकर परिवादी श्री सद्दाम हुसेन द्वारा दिनांक 04.07.2025 को प्रस्तुत हस्तलिखित प्रार्थना-पत्र पेश किया। मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी का हस्तलिखित प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया जो इस प्रकार है कि "दिनांक 19.01.2025 को श्री दीपक बंजारा सी. आई. साहब उनकी टीम द्वारा मेरे मामा श्री अनवर अजमेरी को जो बागलिया के रहने वाले हैं। उनको राजपुरिया बार्डर पर

जाखड बस से समय 07.30 ए.एम. पर एक बेग उतार कर उसमें 2 किलो फर्जी सामान रखकर उनको जबरन उठाकर कब्जे रास्ते मे लेकर प्रतापगढ ले गये व 2 घण्टे के बाद बसाड के पास अनवर की मोटर माईकिल पर जबरन एक बेग टांगकर वीडियो बनाकर फर्जी एन.डी.पी.एस. एक्ट का मुकदमा बनाया। फिर अनवर का रिमांड लेकर दीपक बंजारा सी.आई. व उनकी टीम ने अनवर के साथ काफी मारपीट कर धमकाया की घर से 50 लाख रूपये मंगवा नही तो तेरे लडके खालिद, जाहिद व तेरे भांजे सद्दाम हुसैन को धारा 29 में फसायेंगे फिर महेन्द्र सिंह ए.एस.आई. मे बातचित हुई तो उन्होने कहा कि यह रूपये दीपक बंजारा सी.आई. साहब व उपर के अफसरो के पास जायेंगे। बडी मुश्किल से मामला 22 लाख रूपयों में तय हुआ। हमने अनवर की 5 बीघा जमीन बेचकर 22 लाख रूपये श्री महेन्द्र सिंह ए.एस.आई. के मांगने पर उनको दिये। दिनांक 05.02.2025 को शाम 5 बजे के करिब मुझे पुलिस ने प्रतापगढ थाने मे बुलाया व कहा कि तुने दीपक कुमार मेघवाल रठांजना थानेदार के खिलाफ मारपीट कर रूपये लेने की जो शिकायत कर रखी हैं। उसे वापस ले ले नही तो अभी तेरी गाडी में कोई सामान/स्मेक रखकर के केस बना देंगे। मैं डर गया और दीपक कुमार बंजारा सी.आई. ने जबरन मेरे से लिखापढी करवा के राजीनामें के कागजातों पर दस्तखत कराके मुझे कोर्ट में ले गये जहां पर भी राजीनामें की लिखापढी कर दस्तखत करा के मुझे डी.वाई.एस.पी. साहब प्रतापगढ के ऑफिस में ले गये। साथ में दीपक कुमार बंजारा सी.आई. दीपक कुमार मेघवाल थानेदार रठांजना, महेन्द्र सिंह ए.एस.आई. थे। जिन्होने विडियो बनाकर के दबाव डालकर के डराकर जबरन राजीनामें के बयान लिखवाकर दस्तखत करवा लिये। इसके बाद दिनांक 27.06.2025 को मुझे महेन्द्र सिंह ए.एस.आई. ने प्रतापगढ थाने के बाहर होटल में बुलाया और कहा कि अनवर मे केस में जो मोटर साईकिल पकडी हैं। वह तेरे बहनोई शेरू अजमेरी निवासी अरनिया मध्यप्रदेश के नाम पर हैं तु इसका नाम चालान से निकलवाना चाहता हैं तो मुझे एक लाख रूपये और देना पडेगा। यह रूपये दीपक बंजारा सी.आई साहब व उपर के अफसर लेंगे। मेरे पास 30 हजार रूपये उस समय पडे थे जो महेन्द्र सिंह ए.एस.आई. के मांगने पर उनको मैने डर के कारण दे दिये। बाकि 70 हजार रूपये ओर बाद में लेने की बात हुई हैं। मैं अब महेन्द्र सिंह ए.एस.आई. को रूपये देना नही चाहता हूं। आपसे उसे भ्रष्टाचार के केस में पकडवाना चाहता हूं। मेरी महेन्द्र सिंह ए.एस.आई. व दिपक बंजारा थानाधिकारी प्रतापगढ़ से कोई भी दुश्मनी व रंजीश नही हैं और किसी प्रकार की पुरानी लेन-देन बकाया नही हैं, रिपोर्ट पेश हैं। कानूनी कार्यवाही की जावें। इत्यादी प्रस्तुत की गई।" जिसके पश्चात श्री हेमेन्द्र सिंह कानि ने पूर्व में जरिये दूरभाष रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के हालात पुनः अवगत कराये गये। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आज कार्यालय में उपस्थित होने के बाद श्री दिलीप कुमार कानि. को ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर एवं दो मेमोरी कार्ड, जिसमें परिवादी सद्दाम हुसैन व संदिग्ध महेन्द्र सिंह स.उ.नि. की दिनांक 05.07.2025 को रिकॉर्ड शुदा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ताए कुल दो व दिनांक 06.07.2025 को रिकॉर्ड शुदा एक वार्ता लगा हुआ मुझे सुपूर्द किया गया। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय दोनो मूल मेमोरी कार्ड को पृथक-पृथक चालु कर सुना गया तो रिश्वत राशि की मांग सत्यापन होना पाया गया तथा श्री हेमेन्द्र सिंह कानि. द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टि हुई। इसके पश्चात दिनांक 05.07.2025 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन का मूल मेमोरी कार्ड एंव दिनांक 06.07.2025 को हुई मांग सत्यापन का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगा मेमोरी कार्ड को श्री दिलीप कुमार कानि को सम्भलवाकर सुरक्षित मालखाने में रखवाया गया। परिवादी से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व्यक्तिगत मिल अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जावेंगी। दिनांक 07.07.2025 समय 03.00 पी.एम. इस समय मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री सद्दाम हुसेन को अग्रीम ट्रेप कार्यवाही के बारे में जानकारी देने हेतु तथा ट्रेप कार्यवाही की गोपनीयता बाबत जानकारी देने रिश्वत राशि पेश करने हेतु ब्यूरो कार्यालय उपस्थित होने बाबत सम्पर्क करने पर परिवादी श्री सद्दाम हुसेन द्वारा अवगत करवाया गया कि मुझे श्री महेन्द्र सिंह स.उ.नि. आपके ऑफिस में देख लेगा तो वह रिश्वती राशि ग्रहण नही करेगा और उसे शक हो जायेगा इसलिए मैं आपके ऑफिस नही आकर पांच ईमली, अचलपुर की तरफ आ रहा हु, वही पर बात करेंगे। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री हेमेन्द्र सिंह कानि. नं. 82 प्राईवेट वाहन के रवाना पांच ईमली, अचलपुर की तरफ हुआ। दिनांक 07.07.2025 समय 06.50 पी.एम. मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री हेमेन्द्र सिंह कानि. नं. 82 प्राईवेट वाहन के रवानाशुदा परिवादी श्री सद्दाम हुसेन द्वारा बताई जगह पर मिलने हेतु अचलपुर के पास एक खाली पडे बरामदे में पहुचें जहां कुछ समय बाद परिवादी श्री सद्दाम हुसेन अपनी निजी कार लेकर उपस्थित हुआ। परिवादी श्री सद्दाम हुसेन द्वारा अवगत करवाया गया कि श्री महेन्द्र सिंह स.उ.नि. को रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था मैं कल सुबह कर दुंगा और बताया कि श्री महेन्द्र सिंह स.उ.नि. मेरे से रिश्वत राशि अमलावद-प्रतापगढ मार्ग पर नायरा पेट्रोल पम्प के सामने अल्ताफ के मकान में बनी किराणा की दुकान पर आकर लेने की पूर्ण सम्भावना हैं क्योकि वही पर दिनांक 05.07.2025 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान मेरे से श्री महेन्द्र सिंह स.उ.नि. द्वारा मांगकर 40,000/-रूपये प्राप्त किये हैं। जिस पर परिवादी श्री सद्दाम हुसेन को रिश्वती राशि पेश करने हेतु कहा गया तथा कार्यवाही की गोपनीयता रखने के बारे में हिदायत देकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री हेमेन्द्र सिंह कानि. नं. 82 प्राईवेट वाहन के रवाना होकर ब्यूरो ईकाई प्रतापगढ़ पहुचां। दिनांक 07.07.2025 समय 09.30 पी.एम. मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री हेमेन्द्र सिंह कानि. नं. 82 प्राईवेट वाहन के वास्ते परिवादी श्री सद्दाम हुसेन द्वारा बताये गये स्थान अमलावद-प्रतापगढ मार्ग पर नायरा पेट्रोल पम्प के सामने अल्ताफ के मकान में बनी किराणा की दुकान पर रिश्वती राशि देने की पूर्ण सम्भावना होने से

उक्त स्थान की तस्दीक हेतु रवाना हुआ। दिनांक 07.07.2025 समय 10.50पी.एम. मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री हेमेन्द्र सिंह कानि. नं. 82 प्राईवेट वाहन के रवानाशुदा परिवादी श्री सद्दाम हुसेन द्वारा बताये गये स्थान अमलावद-प्रतापगढ मार्ग पर नायरा पेट्रोल पम्प के सामने अल्ताफ के मकान में बनी किराणा की दुकान के आस-पास पहुचं तस्दीक की जाकर रवाना हो ब्यूरो ईकाई प्रतापगढ़ पहुचां। दिनांक 08.07.2025 समय 09.15 ए.एम. इस समय दर्ज रहे कि परिवादी श्री सद्दाम हुसेन द्वारा जरिये वॉट्सअप कॉल श्री हेमेन्द्र सिंह कानि. 82 को अवगत करवाया गया कि मेरे द्वारा श्री महेन्द्र सिंह स. उ.नि. को रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वती राशि 22,000/-रूपये की व्यवस्था हो चुकी हैं, मैं आज दिनांक 08.07.2025 को कुछ समय में आपके ऑफिस आ रहा हुं। जिस पर श्री हेमेन्द्र सिहं कानि. द्वारा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को उक्त जानकारी से अवगत करवाया गया। अतः अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु इस समय दो स्वतंत्र गवाह की आवश्यकता होने से वाणिज्यिक कर अधिकारी कार्यालय वाणिज्यिक कर विभाग वृत प्रतापगढ के नाम इस कार्यालय का पत्रांक 877 दिनांक 08.07.2025 जारी कर श्री हेमेन्द्र सिंह कानि को तहरिर देकर आवश्यक हिदायत कर रवाना किया। दिनांक 08.07.2025 समय 10.00 ए.एम. इस समय वाणिज्यिक कर अधिकारी कार्यालय वाणिज्यिक कर विभाग वृत प्रतापगढ के पत्रांक 81 दिनांक 08.07.2025 द्वारा मनोनीत दो स्वतन्त्र गवाह उपस्थित आये जिनको मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय देते हुए उनका परिचय पुछा तो उन्होने अपना नाम श्री अभिमन्यू सिंह पूरावत पिता भानूप्रताप सिंह पूरावत जाति राजपूत उम्र 30 साल निवासी जाजली थाना अरनोद जिला प्रतापगढ हाल कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी, कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, वृत-प्रतापगढ एवं श्री कालु निनामा पिता कानजी निनामा जाति मीणा उम्र 33 साल निवासी तेजपुर थाना सदर बांसवाडा जिला बांसवाडा हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, वृत-प्रतापगढ़ होना बताया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो गवाहान से प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही मे बतौर स्वतन्त्र गवाहान उपस्थित रहने बाबत् सहमति चाही गई जिस पर दोनो गवाहान ने अपनी-अपनी मोखिक सहमति व्यक्त की। दोनों गवाहों को कार्यालय के दुसरे कक्ष में सुरक्षित बिठाया गया।दिनांक 08.07.2025 समय 10.10 एएम इस समय परिवादी श्री सद्दाम हुसैन ब्यूरो कार्यालय में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित आया जिसने बताया कि मांग सत्यापन वार्ता अनुसार रिश्वती राशि 20,000/-रूपये एवं मेरे द्वारा दिनांक 05.07.2025 को महेन्द्र सिंह ए.एस.आई. को मांग सत्यापन की कार्यवाही के दौरान दिये गये कुल 40,000/-रूपये में से 500/-रूपये का एक नकली नोट व तीन नोट कम जानबुझकर महेन्द्र सिंह ए.एस.आई. को दिये गये थे जो मांग अनुसार 2,000/-रूपये, कुल 22,000/-रूपये ओर देना तय हुआ था, मांग के अनुसार मैं 22,000 हजार रूपये लेकर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु उपस्थित हुआ हू। जिसे कार्यालय कक्ष में बिठाकर मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को दिनांक 04.07.2025 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं दिनांक 05.07.2025 व 06.07.2025 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो की उसके द्वारा ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई थी बाबत् माजिद दरियाफ्त पुछताछ की गई तो परिवादी ने बताया की " मै दिनांक 04.07.2025 को ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया था मैने अपने जानकार मे कानुनी कार्यवाही कराने बाबत् प्रार्थना पत्र लिखवाया था जो की आपके कार्यालय के कानि श्री हेमेन्द्र सिंह को दिया था जिसके बाद मैने दिनांक 05.07.2025 को जरिये व्हॉट्सएप कॉल कर श्री हेमेन्द्र सिंह कानि को बताया की आज श्री महेन्द्र सिंह जी मिलने बुलाया है आज वो पैसे की मांग कर सकता है आप मुझे मेरे परिचित के घर वेलोसीटी कॉलोनी प्रतापगढ़ आकर मिलो। जिस पर श्री हेमेन्द्र सिंह कानि मेरे परिचित के घर वेलोसिटी कॉलोनी प्रतापगढ़ पर आए जहां पर मुझे मिले इसके बाद मैने अपने मोबाईल नं   से श्री महेन्द्र सिंह एएसआई के मोबाईल नं   पर जरिये व्हाट्सएप कॉल मोबाईल को लाउड स्पीकर पर रखकर किया उक्त वार्ता को ब्यूरो डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मे लगे मेमोरी कार्ड को रिकॉर्डर का चालु कर रिकॉर्ड किया गया था। जिसमें महेन्द्र सिंह जी एएसआई साहब ने उनसे आकर मिलने को कहा था। वह अकेले मुझसे नही मिलते इसलिए मै अपने मित्र श्री अल्ताफ जो की मेरे गांव का ही रहने वाला है उसे साथ लेकर जाना था इसके बाद श्री हेमेन्द्र सिंह कानि ने ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के संचालन की प्रक्रिया समझाकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ चालु हालत में मुझे देकर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड करने की आवश्यक हिदायत देकर अल्ताफ के घर गादोला की तरफ रवाना कर वो भी मेरे पीछे-पीछे दूरी बनाकर आ रहे थे इसके बाद मैं गादोला जाकर अल्ताफ को अपने साथ लेकर अमलावद-प्रतापगढ मार्ग पर नायरा पेट्रोल पम्प के सामने अल्ताफ के मकान में बनी किराणा की दुकान पर आए वहां कुछ समय बाद श्री महेन्द्र सिंह एएसआई साहब आए जिनसे रिश्वत सम्बन्धि वार्ता होने के बाद मै करीबन 08.40 पीएम पर श्री हेमेन्द्र सिंह जी के पास गया और ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मेमोरी कार्ड लगा हुआ हेमेन्द्र जी को सुपूर्द किया जिसे हेमेन्द्र जी ने बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। इसके बाद मैने हेमेन्द्र जी को मेरे अल्ताफ और श्री महेन्द्र सिंह जी एएसआई साहब के मध्य हुई रिश्वत सम्बन्धि वार्ता के बारे में बताया और मेरे पास मेरे खर्च के 500-500 रूपये के 40,000/- रूपये पडे हुये थे पर उसमें मेरे द्वारा जानबुझकर तीन नोट कम व एक नोट नकली रखकर महेन्द्र सिंह जी एएसआई साहब द्वारा मांगे जाने पर उनको दिये थे। उपरोक्त वार्ता को मैने ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकोर्ड कर लिया था। तत्पश्चात मैने हेमेन्द्र जी को बताया की मेरे भूरा वाले मामले मै भी महेन्द्र सिंह जी रिश्वत राशि की मांग कर रहे है और उन्होने कल मुझे वापस मिलने बुलाया है आपन एक बार वापस उनसे कल मिल कर

पैसो की बातचीत करेगे और मुझसे मांगे बाईस हजार रूपयो की व्यवस्था अभी नही हो पाएगी। जिसके बाद हेमेन्द्र जी ने मुझे दिनांक 06.07.2025 को पुनः सम्पर्क करने एवं कार्यालय उपस्थित आने हेतु हिदायत देकर रूखसत किया था जिसके बाद मैने दिंनाक 06.07.2025 को श्री हेमेन्द्र सिंह कानि को जरिये व्हॉट्सएप कॉल का गादोला मेरे गांव बुलाया था जिस पर श्री हेमेन्द्र सिंह कानि मेरे गांव गादोला आए और मुझसे आकर मिले इसके बाद मैने अपने मोबाईल नं से श्री महेन्द्र सिंह एएसआई के मोबाईल नं पर जरिये व्हाट्सएप कॉल मोबाईल को लाउड स्पीकर पर रखकर किया तो उन्होंने मुझसे भूरा के मामले को निपटाने के लिए रिश्वत राशि की मांग करते हुए मेरे द्वारा दिनांक 05.07.2025 को दिए 40,000/- रूपयो में राशि कम होने के बारे मे तथा बाकी राशि 22,000/- रूपयो की व्यवस्था कर देने के लिए कहा, उक्त वार्ता को ब्यूरो डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मे लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डर को चालु कर रिकॉर्ड किया गया था। इसके बाद हेमेन्द्र सिंह जी ने रिकॉर्डर बन्द कर अपने पास रख लिया और मुझे राशि की व्यवस्था कर कार्यालय उपस्थित आने हेतु हिदायत देकर वो गादोला से रवाना हुए थे" जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री हेमेन्द्र सिंह कानि को कार्यालय कक्ष में बुलाकर पूछा गया तो कानि ने परिवादी द्वारा बताये गए तथ्यो की ताईद की गई। परिवादी को सुरक्षित कार्यालय कक्ष में बिठाया गया। दिनांक 08.07.2025 समय 10.40 एएम इस समय कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री सद्दाम हुसैन एवं कार्यालय के दूसरे कक्ष में बैठे हुए दोनों स्वतन्त्र गवाहानों को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में बुलाया जाकर परिवादी से आपस में परिचय करवाया गया तथा परिवादी श्री सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट दिनांक 04.07.2025 को दोनो गवाहान के समक्ष पढ़कर सुनाई गई तो परिवादी ने शब्द-ब-शब्द सही होना मान रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर अंकित होना जाहिर किया। उक्त रिपोर्ट पर दोनो स्वतंत्र गवाहान ने पढकर हस्ताक्षर किये। दिनांक 08.07.2025 समय 11.00 एएम इस समय ब्यूरो इकाई बांसवाडा से पूर्व से पाबन्दशुदा श्री हरभजन सिंह कनिष्ठ सहायक, श्री बंशीलाल कानि नं 63 कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया। जिन्हे कार्यालय कक्ष में बिठाया गया। दिनांक 08.07.2025 समय 11.10 ए.एम. इस समय कार्यालय के मालखाने से श्री दिलीप कुमार कानि. प्रभारी मालखाना से ब्यूरो का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड जिसमें दिनांक 05.07.2025 को रिकॉर्ड शुदा मांग सत्यापन वार्ता को मंगवाया गया जिसमें दिनांक 05.07.2025 को समय 04.42 पी.एम. पर परिवादी एवं आरोपी श्री महेन्द्र सिंह ए.एस.आई. के मध्य जरिये व्हॉट्सएप मोबाईल पर हुई वार्ता एवं समय 05.03 पी.एम. पर परिवादी, अल्ताफ परिवादी का मित्र, आरोपी श्री महेन्द्र सिंह एएसआई के मध्य आमने-सामने हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुई, जिसे परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष चलाकर सुनाया गया तथा उक्त डिजिटल वॉईस रिकार्डर को ब्यूरो के लेपटॉप से कनेक्ट करा श्री हेमेन्द्र सिंह कानि. से पृथक से फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई जाकर स्वतंत्र गवाह एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता के मूल मेमोरी कार्ड से पेन ड्राईव पृथक से तैयार की जावेगी। दिनांक 08.07.2025 समय 05.00 पीएम इस समय दिनांक 05.07.2025 को समय 04.42 पी.एम. पर परिवादी एवं आरोपी श्री महेन्द्र सिंह ए.एस.आई. के मध्य जरिये व्हॉट्सएप मोबाईल पर हुई वार्ता एवं समय 05.03 पी.एम. पर परिवादी, अल्ताफ परिवादी का मित्र, आरोपी श्री महेन्द्र सिंह एएसआई के मध्य आमने-सामने हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ताए जिसे नियमानुसार ब्यूरो के डिजिटल वाईस रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई। उक्त डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप से श्री हेमेन्द्र सिंह कानि. नम्बर 82 से कनेक्ट करा वार्तालाप की तीन पेनड्राईव KDM कम्पनी बरंग मील्वर 8 जीबी तैयार की गयी। एक पर न्यायालय पेन ड्राईव एवं दूसरी पर आई.ओ. पेनड्राईव तथा तीसरी पर आरोपी पेनड्राईव लिखा जाकर सभी की हेश वेल्यू नियमानुसार निकलवाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये।न्यायालय पेनड्राईव तथा आरोपी पेनड्राईव को अलग-अलग कवर में रखा जाकर अलग-अलग एक सफेद कपड़े की थेली में रखकर नियमानुसार सिलचिट बंद कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा पृथक से जरिये फर्द जब्त कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया तथा आई.ओ. पेन ड्राईव को अलग लिफाफे में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सुरक्षित रखा गया। दिनांक 08.07.2025 समय 05.30 पीएमइस समय दर्ज रहे कि संदिग्ध श्री महेन्द्र सिंह स.उ.नि. पुलिस विभाग का होकर बहुत शातिर व चालाक हैं, परिवादी को चेक करने की पुरी सम्भावना होने से सुरक्षा की दृष्टि से स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष दिनांक 05.07.2025 को समय 04.42 पी.एम. पर परिवादी एवं आरोपी श्री महेन्द्र सिंह ए.एस. आई. के मध्य जरिये व्हॉट्सएप मोबाईल पर हुई वार्ता एवं समय 05.03 पी.एम. पर परिवादी, अल्ताफ परिवादी का मित्र, आरोपी श्री महेन्द्र सिंह एएसआई के मध्य आमने-सामने हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जिसे नियमानुसार ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई। जिसकी हेश वेल्यू नियमानुसार श्री हेमेन्द्र सिंह कानि. नं. 82 से निकलवाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर उक्त मेमोरी कार्ड को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में से मूल ही श्री दिलीप कुमार कानि. से निकलवाया गया तो मेमोरी कार्ड बरंग काला 32 जी.बी. होकर Sandisk लिखा हुआ है, उक्त मूल मेमोरी कार्ड को जरिये फर्द वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया जाकर एक सफेद कलर की कपडे की थेली में रखकर सिलचिट कर नियमानुसार मार्क M अंकित कर जब्त किया गया। उक्त फर्द को सम्बन्धित ने पढकर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। दिनांक 08.07.2025 समय 06.00 पी.एम. इस समय ब्यूरो इकाई इन्टे उदयपुर से पूर्व से पाबन्दशुदा श्री मुनिर मोहम्मद सहायक उप निरीक्षक एवं ब्यूरो इकाई एसयू उदयपुर से श्री मोहम्मद जाबीर उप निरीक्षक कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये। जिन्हे

कार्यालय कक्ष में बिठाया गया।दिनांक 08.07.2024 समय 06.40 पी.एम. इस समय मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनों गवाहान के समक्ष परिवादी श्री सद्दाम हुसैन को आरोपी श्री महेन्द्र सिंह एएसआई पुलिस थाना कोतवाली जिला प्रतापगढ को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी ने अपने पास से 500-500 रूपये के 44 नोट कुल 22,000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के पेश किये। परिवादी श्री सद्दाम हुसैन द्वारा पेश किये गये उपरोक्त प्रस्तुत समस्त नोटो का मिलान स्वंतत्र गवाहान से करवाया गया तत्पश्चात उक्त समस्त नोटो पर श्री दिलीप कुमार कानि. से कार्यालय के मालखाने में रखी फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को मंगवाया जाकर श्री गणेशप्रसाद हैड कानि को सम्भलवाई गई तथा हैड कानि द्वारा कार्यालय की टेबल पर अखबार बिछाकर अखबार पर उपरोक्त समस्त भारतीय चलन मुद्रा के नोटो के दोनो ओर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर हैड कानि से उपरोक्त नोटो को परिवादी श्री सद्दाम हुसैन की पहनी हुई पेन्ट के आगे की दाहिनी जेब की तलाशी श्री अभिमन्यू सिंह स्वतन्त्र गवाहन से लिवाई जाकर उक्त जेब में श्री गणेश प्रसाद हैड कानि से कोई शेश नहीं छोडते हुए रखवाये गये। तत्पश्चात् श्री दिलीप कुमार कानि से एक प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में कार्यालय से साफ पानी भरवाकर मंगवाया तथा ब्यूरो कार्यालय के मालखाने से सोडियम कार्बोनेट पाउडर मगवाया जाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे गवाहान एवं परिवादी को दिखाया गया तो उन्होनें घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री गणेश प्रसाद हैड कानि की अंगुलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटो पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उसकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की अंगुलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री गणेसप्रसाद हैड कानि से कार्यालय के बाहर नाली में फिकवाया गया तथा अखबार व प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास को जलाकर नष्ट किया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री दिलीप कुमार कानि को सुरक्षित मालखाने में रखने हेतु सम्भलाई गई तथा परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने मे पूर्व या देने के बाद उसके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे तथा रिश्वती राशि दे चुकने के बाद अपने सिर पर दो बार हाथ फैरकर कर गोपनीय निर्धारित ईशारा करें। परिवादी, श्री गणेश प्रसाद हैड कानि व स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये एवं श्री गणेश प्रसाद हैड कानि को ब्यूरो इकाई प्रतापगढ पर ही मुकिम रहने की हिदायत दी गई। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक मे मूर्तिब कर संबधितों के हस्ताक्षर कराये गये। उक्त कार्यवाही की विडीयो रिकॉर्डिंग ब्यूरो कार्यालय के मोबाईल में नया मेमोरी कार्ड लगवाया जाकर श्री ईश्वरलाल कानि नं 320 से रिकॉर्ड करवायी गई। कार्यवाही के दौरान जाप्ते को मोबाईल का उपयोग अति आवश्यक होने पर आपस में संवाद करने व मोबाईल साईलेंट करने के निर्देश दिये गये। दिनांक 08.07.2025 समय 08.20 पीएम इस समय मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री सद्दाम हुसैन को स्वयं की मोटरसाईकल से एवं श्री हेमेन्द्र सिंह कानि को ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ व श्री हरभजन सिंह कनिष्ठ सहायक को निजी मोटरसाईकल से परिवादी के पीछे-पीछे तथा श्री मोहम्मद जाबीर उप निरीक्षक, श्री दिलीप कुमार कानि, श्री बंसीलाल व श्री ईश्वरलाल कानि को प्राईवेट वाहन टैक्सी से रवाना करते हुए, मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री अभिमन्यू सिंह, श्री कालु निनामा एवं श्री नरेन्द्र सिंह कानि., श्री मुनिर मोहम्मद स. उ.नि. मय ट्रेप बॉक्स व आवश्यक संसाधन ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप, प्रिंटर के जरिये प्राईवेट वाहन टैक्सी के ब्यूरो इकाई से अमलावद-प्रतापगढ मार्ग पर नायरा पेट्रोल पम्प की तरफ रवाना हुए। दिनांक 08.07.2025 समय 08.35 पीएम इस समय मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय जाब्ता ब्यूरो कार्यालय से रवानाशुदा अमलावद-प्रतापगढ मार्ग पर नायरा पेट्रोल पम्प के आस-पास पहुंच कर अपने-अपने वाहनो को रोड के साईड में खडा किया तब ही परिवादी श्री सद्दाम हुसैन भी हमारे साथ उक्त स्थान पर रूका तब परिवादी ने बताया की मै अकेला जाउंगा तो श्री महेन्द्र सिंह एएसआई मुझसे नही मिलेगा मुझे अपने साथ अल्ताफ को लेकर इसी स्थान पर अल्ताफ के मकान में बनी किराणा की दुकान पर आकर महेन्द्र सिंह एएसआई से मिलेंगे। जिस पर निर्माणाधिन पुलिये से थोडा आगे छुपाव हासिल करते हुए श्री सद्दाम हुसैन को श्री हेमेन्द्र सिंह कानि द्वारा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ चालु कर सुपूर्द कर अल्ताफ व महेन्द्र सिंह ए.एस.आई. के पास जाने के लिए रवाना किया गया, पीछे-पीछे हेमेन्द्र सिंह कानि. व हरभजन सिंह कनिश्ठ सहायक को छुपाव हासिल करते हुए निगरानी हेतु रवाना किया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टाफ के सदस्य गोपनीय रुप से अपनी उपस्थिती छिपाते हुए परिवादी के वापस अल्ताफ को लेकर आने एवं गोपनीय इशारे के इन्तजार में रहे। कुछ समय पश्चात परिवादी मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास आया और ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड चालु हालात में सुपूर्द किया जिसे बन्द कर सुरक्षित रखने हेतु श्री हेमेन्द्र सिंह कानि को सम्भलाया गया। तत्पश्चात परिवादी

ने बताया कि मै अल्ताफ के घर गया था तो वहां हमारे मित्र श्री मुजिब बैठे हुए थे अल्ताफ को मैने अपने साथ चलने के लिए कहा तो अल्ताफ ने कहा मै साहब से पूछ लेना हु वो कहा मिलेगे अल्ताफ ने अपने मोबाईल से श्री महेन्द्र सिंह एएसआई को फोन कर मेरी बात उसके मोबाईल मे जरिये व्हाट्सएप करवाई तो श्री महेन्द्र सिंह एएसआई साहब ने कहा अपन कल सुबह मिलेगे अभी मैं हु नही। और फोन काट दिया जिसके बाद मेरे अल्ताफ के मध्य अन्य बातो को लेकर बातचित हुई। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डरको चलाकर मुख्य-मुख्य अंश सुने गए तो परिवादी द्वारा बताये तथ्यों की ताईद हुई। अब आरोपी श्री महेन्द्र सिंह एएसआई की परिवादी से रिश्वत राशि अभी लेने की सम्भावना नही होने से परिवादी के आगे की दाहिनी जेब में रखी बाईस हजार रूपये की रिश्वती राशि को स्वतन्त्र गवाह श्री अभिमन्यू सिंह से निकलवाई जाकर गवाह को सुरक्षित उनके पास रखवाई गई। इसके पश्चात परिवादी ने बताया की मुझे आवश्यक कार्य है, मै सुबह महेन्द्र सिंह एएसआई के फोन आने पर आपसे सम्पर्क करूंगा एएसआई साहब ज्यादातर अल्ताफ के माध्यम से ही मुझे बुलवाते है अगर अल्ताफ का फोन मेरे पर आता है तो मै श्री हेमेन्द्र सिंह कानि से सम्पर्क कर आपको सूचित करूंगा। जिस पर परिवादी को कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की आवश्यक हिदायत कर रूखसत किया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाह मय ब्यूरो जाप्ता आवश्यक संसाधन के अपने-अपने वाहनों से ब्यूरो इकाई प्रतापगढ के लिए रवाना हुए। दिनांक 08.07.2025 समय 10.00 पीएम इस समय मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाह तथा ब्यूरो जाप्ता उपरोक्त फिगरा का रवानाशुदा ब्यूरो इकाई प्रतापगढ पहुंचकर स्वतंत्र गवाह श्री अभिमन्यू सिंह से रिश्वती राशि 22,000/- रूपये को श्री दिलीप कुमार कानि को सुपुर्द कराते हुए सुरक्षित मालखाने मे रखवाया गया। ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड सुरक्षित मालखाने में रखवाया गया। ब्यूरो कार्यालय का मोबाईल जिसमें नया मेमोरी कार्ड लगवाया जाकर मेमोरी कार्ड मोड एक्टीव करा उक्त कार्यवाही विडीयो रिकॉर्डिग की गई को सुरक्षित मालखाने में रखवाया गया। दिनांक 08.07.2025 समय 10.30 पीएम इस समय दोनो स्वतंत्र गवाह श्री अभिमन्यू सिंह एवं श्री कालु निनामा को कल दिनांक 09.07.2025 को 11.00 एएम पर ब्यूरो इकाई पर उपस्थित आने एवं कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की मुनासिब हिदायत कर रूखसत किया गया तथा ईमदाद हेतु उपस्थित जाप्ते को कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की हिदायत कर ब्यूरो इकाई पर उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 09.07.2025 समय 11.00 ए.एम. इस समय पूर्व पाबन्दशुदा दोनो स्वतंत्र गवाह श्री अभिमन्यू सिंह एवं श्री कालु निनामा ब्यूरो इकाई पर उपस्थित आए, जिन्हे कार्यालय कक्ष में सुरक्षित बैठाया गया। श्री हेमेन्द्र सिंह कानि को परिवादी श्री सद्दाम हुसैन से सम्पर्क करने हेतु कहा गया, जिस पर कानि द्वारा परिवादी के मोबाईल पर जरिये व्हॉट्सएप कॉल किया तो परिवादी ने बताया कि मेरे पर श्री महेन्द्र सिंह ए.एस.आई. और श्री अल्ताफ का फोन नही आया है अगर मै उन्हे सामने से फोन करूंगा तो वो शंका करेगा और मुझसे राशि नही लेगा। जिस पर परिवादी को निर्देशित किया की जैसे ही श्री महेन्द्र सिंह ए.एस.आई. या अल्ताफ का फोन आता है तो ब्यूरो कार्यालय सम्पर्क कर अवगत करावे।दिनांक 09.07.2025 समय 02.00 पीएम इस समय दर्ज रहे कि परिवादी श्री सद्दाम हुसैन ने जरिये वाट्सअप कॉल श्री हेमेन्द्र सिंह कानि. से वार्ता की गई। जिस पर श्री हेमेन्द्र सिंह कानि. द्वारा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत करवाया गया कि परिवादी श्री सद्दाम हुसैन ने मन कानि. को जरिये वाट्सअप कॉल कर बताया कि अल्ताफ से मेरी बात हुई हैं, अल्ताफ बता रहा हैं कि साहब पैसे मांग रहे हैं, मैं पैसे मेरे मित्र अल्ताफ को नही देना चाहता हुं, अल्ताफ से मेरा कोई लेन-देन बकाया नही हैं, उक्त रिश्वत राशि मैं स्वयं महेन्द्र सिंह स.उ.नि. को उनके हाथो में देना चाहता हुं। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा संदिग्ध श्री महेन्द्र सिंह स.उ.नि. के मोबाईल नम्बर की लॉकेशन ब्यूरो मुख्यालय से ली गई तो संदिग्ध श्री महेन्द्र सिंह स.उ.नि. की लॉकेशन जिला मुख्यालय प्रतापगढ से बाहर होना ज्ञात हुआ हैं। इसी दौरान परिवादी सद्दाम हुसेन ने श्री हेमेन्द्र सिंह कानि. को जरिये वाट्सअप कॉल अवगत करवाया गया कि श्री महेन्द्र सिंह ए.एस.आई. का मेरे फोन नही आया है, अगर मै उन्हे सामने से फोन करूंगा तो वो शंका करेगा और मुझसे रिश्वती राशि नही लेगा। मैंश्री महेन्द्र सिंह ए.एस.आई. के फोन का इंतजार कर रहा हुं, जैसे ही श्री महेन्द्र सिंह ए.एस.आई. का फोन आता है तोमैं ब्यूरो कार्यालय सम्पर्क कर अवगत करवा दुंगा। दिनांक 09.07.2025 समय 02.30 पीएम इस समय परिवादी श्री सद्दाम हुसैन ब्यूरो ईकाई पर उपस्थित आया। परिवादी श्री सद्दाम हुसैन द्वारा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत करवाया गया कि मेरे पर श्री महेन्द्र सिंह ए.एस.आई. का फोन अभी तक नही आया है, अगर मै उन्हे सामने से फोन करूंगा तो वो शंका करेगा और मुझसे रिश्वती राशि नही लेगा। जिस पर परिवादी श्री सद्दाम हुसैन को कार्यालय कक्ष में सुरक्षित बैठाया गया। दिनांक 09.07.2025 समय 03.00 पी.एम. इस समय कार्यालय के मालखाने से ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मूल मेमोरी कार्ड लगा हुआ जिसमें दिनांक 06.07.2025 को समय 04.23 पी.एम. पर परिवादी श्री सद्दाम हुसेन एवं आरोपी श्री महेन्द्र सिंह के मध्य जरिये व्हाट्सएप कॉल वार्ता एवं दिनांक 08.07.2025 को समय 08.42 पी.एम. पर परिवादी श्री सद्दाम हुसेन एवं अल्ताफ परिवादी के मित्र की आमने-सामने तथा श्री महेन्द्र सिंह एएसआई से मोबाईल पर हुई वार्ता जो की ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड हुई को श्री दिलीप कुमार कानि प्रभारी मालखाना से मंगवाया गया। जिसे परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष चलाकर सुनाया गया तथा उक्त डिजिटल वॉईस रिकार्डर को ब्यूरो के लेपटॉप से कनेक्ट करा श्री हेमेन्द्र सिंह कानि. से पृथक से फर्द ट्रांसक्रिप्टे तैयार करवाई जाकर स्वतंत्र गवाह एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता के मूल मेमोरी कार्ड मे पेन ड्राईव पृथक से तैयार की

जावेगी। दिनांक 09.07.2025 समय 05.30 पीएम इस समय दिनांक 06.07.2025 को समय 04.23 पी.एम. पर परिवादी एवं आरोपी श्री महेन्द्र सिंह के मध्य जरिये व्हाट्सएप कॉल हुई वार्ता एवं दिंनाक 08.07.2025 को समय 08.42 पी.एम. पर परिवादी श्री सद्दाम हुसेन एवं परिवादी के मित्र अल्ताफ की आमने-सामने तथा श्री महेन्द्र सिंह एएसआई से मोबाईल पर हुई वार्ता जो की ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड हुई जिसे नियमानुसार ब्यूरो के डिजिटल वाईस रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई। उक्त डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप से श्री हेमेन्द्र सिंह कानि. नम्बर 82 से कनेक्ट करा वार्तालाप की तीन पेनड्राईव KDM कम्पनी बरंग मील्वर 8 जीबी तैयार की गयी। एक पर न्यायालय पेन ड्राईव तथा दूसरी पर आई.ओ. पेनड्राईव तथा तीसरी पर आरोपी पेनड्राईव लिखा जाकर सभी की हेश वेल्यू नियमानुसार निकलवाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। न्यायालय पेनड्राईव तथा आरोपी पेनड्राईव को अलग-अलग कवर में रखा जाकर अलग-अलग एक सफेद कपड़े की थेली में रखकर नियमानुसार मिलचिट बंद कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा पृथक से जरिये फर्द जब्त कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया तथा आई.ओ. पेन ड्राईव को अलग लिफाफे में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सुरक्षित रखा गया दिनांक 09.07.2025 समय 06.00 पीएमइस समय दर्ज रहे कि संदिग्ध श्री महेन्द्र सिंह स.उ.नि. पुलिस विभाग का होकर बहुत शातिर व चालाक हैं, परिवादी को चेक करने की पुरी सम्भावना होने से सुरक्षा की दृश्टि से स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष दिनांक 06.07.2025 को समय 04.23 पी.एम. पर परिवादी श्री सद्दाम हुसेन एवं आरोपी श्री महेन्द्र सिंह के मध्य जरिये व्हाट्सएप कॉल वार्ता एवं दिनांक 08.07.2025 को समय 08.42 पी.एम. पर परिवादी श्री सद्दाम हुसेन एवं अल्ताफ परिवादी के मित्र की आमने-सामने तथा श्री महेन्द्र सिंह एएसआई से मोबाईल पर हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन/लेन-देन वार्ता,जिसे नियमानुसार ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड हुई। जिसकी हेश वेल्यू नियमानुसार श्री हेमेन्द्र सिंह कानि. नं. 82 से निकलवाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर उक्त मेमोरी कार्ड को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में से श्री दिलीप कुमार कानि. नं. 319 प्रभारी मालखाना से मूल ही निकलवाया गया तो मेमोरी कार्ड बरंग काला 08 जी.बी. जिस पर KDM लिखा हुआ है, उक्त मूल मेमोरी कार्ड को जरिये फर्द बजह सबूतएक सफेद कलर की कपडे की थेली में रखकर मिलचिट कर नियमानुसार मार्क M-1 अंकित कर जब्त किया गया। उक्त फर्द को सम्बन्धित ने पढकर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। दिनांक 09.07.2025 समय 07.30 पीएम इस समय दर्ज रहे की आज आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि ग्रहण नही की गई है।इस समय परिवादी ने बताया कि श्री महेन्द्र सिंह ए.एस.आई. मेरे से सम्पर्क नही कर रहा हैं, अब जब भी श्री महेन्द्र सिंह एएसआई मेरे से एक-दो दिन में सम्पर्क करेगा तो मैं ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होकर या हेमेन्द्र सिंह कानि. को जरिये मोबाईल सूचित कर दुंगा। जिस पर परिवादी श्री सद्दाम हुसेन को अवगत करवाया गया कि श्री महेन्द्र सिंह ए.एस.आई. या मित्र अल्ताफ का फोन रिश्वत राशि ग्रहण करने हेतु आने पर श्री हेमेन्द्र सिंह कानि के मोबाईल पर या मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सूचित कराने हेतु निर्देशित कर रूखसत किया गया। इसके पश्चात दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री अभिमन्यू सिंह एवं श्री कालु निनामा को भी कार्यवाही की गोपनीयता रखने एवं ब्यूरो कार्यालय द्वारा सम्पर्क करने पर कार्यवाही हेतु उपस्थित आने हेतु पाबन्द कर रूखसत किया गया। ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर एवं जब्त शुदा समस्त माल/सामान को श्री दिलीप कुमार कानि. से सुरक्षित मालखाने में रखवाया गया। दिनांक 09.07.2025 समय 08.30 पी.एम.इस समय दर्ज रहे किआज आरोपी महेन्द्र सिंह ए.एस.आई. द्वारा परिवादी से सम्पर्क नही किया गया है। अग्रिम ट्रेप कार्यवाही का आयोजन आरोपी महेन्द्र सिंह ए.एस. आई. थाना कोतवाली प्रतापगढ द्वारा परिवादी श्री सद्दाम हुसेन से सम्पर्क करने पर की जावेंगी। हालात उच्चाधिकारियों को अवगत कराए गए।दिनांक 09.07.2025 समय 08.50 पी.एम. इस समय दर्ज रहे कि परिवादी के बताये अनुसार श्री महेन्द्र सिंह ए.एस.आई. परिवादी से सम्पर्क नही कर रहा हैं, श्री महेन्द्र सिंह एएसआई एक-दो दिन में जब भी सम्पर्क करेगा तब अग्रीम ट्रेप कार्यवाही की जावेंगी। अतः ब्यूरो चौकी पर ईमदाद हेतु उपस्थित आये श्री मुनीर मोहम्मद मउनि,ब्यूरो इकाई इन्टे. उदयपुर, श्री मोहम्मद जाबीर उनि ब्यूरो इकाई स्पेशल यूनिट उदयपुर एवं श्री हरभजन सिंह कनिष्ठ सहायक, श्री बंशीलाल कानि नं 63 ब्यूरो इकाई बांसवाडा को कार्यवाही की गोपनीयता बनाए रखने की हिदायत के साथ जाय तैनाती रूखसत किया गया।दिनांक 12.07.2025 समय 04.00 पी.एम इस समय दर्ज रहे कि श्री हेमेन्द्र सिंह कानि. द्वारा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष कक्ष में उपस्थित होकर अवगत करवाया गया कि परिवादी श्री सद्दाम हुसेन ने मन कानि. को जरिये वाट्सअप कॉल अवगत करवाया गया है कि महेन्द्र सिंह ए.एस.आई. व मेरे मित्र अल्ताफ ने मेरे से रिश्वत राशि लेने के सम्बन्ध में सम्पर्क नही किया हैं, जैसे ही महेन्द्र सिंह ए.एस.आई.या मेरा मित्र मेरे से रिश्वत राशि के बारे में मेरे से सम्पर्क करेगा तो मैं ब्यूरो चौकी आकर सम्पर्क करूंगा। जिस पर परिवादी श्री सद्दाम हुसेन को गोपनियता बरतने की आवश्यक हिदायत की गई तथा निर्देशित किया गया कि महेन्द्र सिंह ए.एस.आई. व अल्ताफ द्वारा रिश्वत राशि लेने के सम्बन्ध में आपसे सम्पर्क किया जाता हैं तो आप तुरन्त मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक या श्री हेमेन्द्र सिंह कानि. को सूचित करें। अग्रिम ट्रेप कार्यवाही का आयोजन आरोपी महेन्द्र सिंह ए.एस.आई. थाना कोतवाली प्रतापगढ़ व परिवादी श्री सद्दाम हुसेन के मित्र अल्ताफ द्वारा परिवादी श्री सद्दाम हुसेन से सम्पर्क करने पर की जावेंगी। दिनांक 18.07.2025 समय 06.00 पी.एम. इस समय श्री हेमेन्द्र सिंह कानि. द्वारा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये वाट्सअप कॉल अवगत करवाया

गया कि परिवादी श्री सद्दाम हुसेन ने मन कानि. को जरिये वाट्सअप कॉल पर बताया गया कि मुझे अल्ताफ ने कहा हैं कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय प्रतापगढ द्वारा बॉस महेन्द्र सिंह ए.एस.आई. थाना कोतवाली प्रतापगढको पुराने किसी डोडा चूरा की गाडी भरवाने व डोडा चूरा की तस्करी करवाने के सम्बन्ध में एक-दो दिन पहले निलंबित कर दिया हैं और श्री महेन्द्र सिंह ए.एस.आई. उस निलम्बन पर कोर्ट से स्टे भी लेकर आ गया हैं और परिवादी श्री सद्दाम हुसेन ने मन कानि. को यह भी बताया कि मैं एक-दो दिन पहले किसी शादी प्रोगाम में गया हुआ था। उस शादी के प्रोगाम में श्री महेन्द्र सिंह ए.एस. आई. तथा पुलिस थाना कोतवाली प्रतापगढ एवं पुलिस थाना रठांजना के कई सारे पुलिस वाले भी आये हुये थे। उस दिन महेन्द्र सिंह ए.एस.आई. मुझे एक तरफ ले जाकर मिला और कहा कि सद्दाम, उस दिन दिनांक 08.07.2025 को अपने उपर ए.सी.बी. की कार्यवाही हो जाती, मेरे नाम की किसी ने शिकायत ए.सी.बी. में कर दी है, अपन सभी उस दिन बच गये, मैं इसिलिए पैसे लेने तुम्हारे पास नही आया था मैं पैसे लेने आ जाता तो अपन सभी को ए.सी.बी. वाले उस दिन पकड लेते। अतः महेन्द्र सिंह ए.एस.आई. को पुरा यकिन हो गया हैं कि उसके नाम की किसी ने ए.सी.बी. में शिकायत कर दी हैं। फिर भी परिवादी श्री सद्दाम हुसेन को गोपनियता बरतने की आवश्यक हिदायत की गई तथा निर्देशित किया गया कि महेन्द्र सिंह ए. एस.आई. व अल्ताफ द्वारा रिश्वत राशि लेने के सम्बन्ध में आपसे सम्पर्क किया जाता हैं तो आप तुरन्त मन कानि. या अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सूचित करें। अग्रिम ट्रेप कार्यवाही का आयोजन आरोपी महेन्द्र सिंह ए.एस.आई. थाना कोतवाली प्रतापगढ व परिवादी श्री सद्दाम हुसेन के मित्र अल्ताफ द्वारा परिवादी श्री सद्दाम हुसेन से सम्पर्क करने पर की जावेंगी। दिनांक 24.07.2025 समय 03.40 पी.एम. इस समय दर्ज रहे कि श्री हेमेन्द्र सिंह कानि. द्वारा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कक्ष में उपस्थित होकर अवगत करवाया गया कि परिवादी श्री सद्दाम हुसेन ने मन कानि. को जरिये वाट्सअप कॉल अवगत करवाया गया कि महेन्द्र सिंह ए.एस.आई. व मेरे मित्र अल्ताफ ने मेरे से रिश्वत राशि लेने के सम्बन्ध में सम्पर्क नही किया हैं, जैसे ही महेन्द्र सिंह ए.एस.आई.या मेरा मित्र मेरे से रिश्वत राशि के बारे में मेरे से सम्पर्क करेगा तो मैं ब्यूरो चौकी आकर सम्पर्क करूंगा। जिस पर परिवादी श्री सद्दाम हुसेन को गोपनियता बरतने की आवश्यक हिदायत की गई तथा निर्देशित किया गया कि महेन्द्र सिंह ए.एस.आई. व अल्ताफ द्वारा रिश्वत राशि लेने के सम्बन्ध में आपसे सम्पर्क किया जाता हैं तो आप तुरन्त मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक या श्री हेमेन्द्र सिंह कानि. को सूचित करें। अग्रिम ट्रेप कार्यवाही का आयोजन आरोपी महेन्द्र सिंह ए.एस.आई. थाना कोतवाली प्रतापगढ व परिवादी श्री सद्दाम हुसेन के मित्र अल्ताफ द्वारा परिवादी श्री सद्दाम हुसेन से सम्पर्क करने पर की जावेंगी। दिनांक 04.08.2025 समय 09.30 पी.एम.इस समय दर्ज रहे कि मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अवकाश भुगतकर उपस्थित हुआ। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निवास पर उपस्थित होकर श्री हेमेन्द्र सिंह कानि. द्वारा अवगत करवाया गया कि दिनांक 01.08.2025को समय 12.09 पी.एम. पर परिवादी श्री सद्दाम हुसेन ने मन कानि. को जरिये वाट्सअप कॉल अवगत करवाया हैं कि "दिनांक 30.07.2025 को शाम को मेरे भांजे दाउद को रठांजना थाने की पुलिस फर्जी एम.डी. के केस में पकडकर पुलिस थाना रठांजना लेकर गई थी और मेरे भांजे दाउद के साथ मारपीट कर रही हैं और मेरे से माल लेकर जाना बताने के लिए मेरे भांजे दाउद पर दबाव बना रही हैं। जिस पर दिनांक 31.07.2025 को मेरे द्वारा श्री दिपक कुमार थानाधिकारी थाना रठांजना को वाट्सअप कॉल किया गया तो उन्होने सही जवाब नही दिया। उसके बाद उसी दिन मेरे द्वारा श्री दिपक बंजारा थानाधिकारी थाना कोतवाली प्रतापगढ को वाट्सअप कॉल किया तो उन्होने मिटिंग में होकर बाद में फोन करना बताया। उसके बाद उसी दिन मैने श्री महेन्द्र सिंह स.उ. नि. को वाट्सअप कॉल किया तो उन्होने मुझे बताया कि सद्दाम भाई आपकी और दिपक कुमार थानाधिकारी थाना रठांजना के बीच लडाई-झगडे वाली फाईल उदयपुर रेंज ऑफिस से पुनः जांच हेतु वापस आ गई हैं, इसलिए दिपक कुमार थानाधिकारी थाना रठांजना वाले ने यह केस बनाया हैं फिर भी मैं तुम्हारे लिए दिपक कुमार थानाधिकारी थाना रठांजना से बात करता हूं। लेकिन उस दिन महेन्द्र सिंह स.उ.नि. का वापस फोन नही आया तो मैने महेन्द्र सिंह स.उ.नि. को जरिये वाट्सअप कॉल कर कह दिया हैं कि आप सभी मुझे एन.डी.पी.एस. के केस में झुठा फसाना चाह रहे हो, इसलिए मेरी और महेन्द्र सिंह स.उ.नि. के बीच में अनबन हो गई हैं। उसके बाद दिनांक 31.07.2025 को ही शाम के समय मैने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय प्रतापगढ के कार्यालय में जाकर उनको सारी बात बताकर कार्यवाही हेतु रिपोर्ट पेश कर दी। उसी दिन दिनांक 31.07.2025 को शाम को मेरे मित्र अल्ताफ का मुझे वाट्सअप कॉल आया तो मैने अल्ताफ को भी कह दिया हैं कि तु और दिपक कुमार थानाधिकारी थाना रठांजना व दिपक बंजारा थानाधिकारी थाना कोतवाली प्रतापगढ व महेन्द्र सिंह स. उ.नि. मुझे एन.डी.पी.एस. के केस में झुठा फसाना चाह रहे हो, इसलिए मेरी, मेरे दोस्त अल्ताफ व महेन्द्र सिंह स.उ.नि. के बीच में अनबन हो गई हैं, अब महेन्द्र सिंह स.उ.नि. मेरे से रिश्वत के पैसे नही लेगा।" जिस पर परिवादी श्री सद्दाम हुसेन को ब्यूरो चौकी आकर या किसी ओर जगह मन हेमेन्द्र सिंह कानि. या अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के अवकाश से आने पर उनसे मिलकर अग्रीम कार्यवाही के बारे में जानकारी दी गई तो परिवादी श्री सद्दाम हुसेन द्वारा अवगत करवाया गया कि मैं अभी बाहर हुं, एक-दो दिन में आकर आपसे मिलता हुँ। फिर भी परिवादी श्री सद्दाम हुसेन को गोपनियता बरतने की आवश्यक हिदायत की गई तथा निर्देशित किया गया कि महेन्द्र सिंह ए.एस.आई. व अल्ताफ द्वारा अगर अब भी रिश्वत राशि लेने के सम्बन्ध में आपसे सम्पर्क किया जाता हैं तो आप तुरन्त मन कानि. या अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचित करें। दिनांक 05.08.2025 समय 10.00ए.एम.इस समय दर्ज रहे कि मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा गोपनीय रूप से

जानकारी प्राप्त करने पर मालूम हुआ कि महेन्द्र सिंह ए.एस.आई. थाना कोतवाली प्रतापगढ को पूरा शक हो गया हैं कि किसी ने ए.सी.बी. में उसकी शिकायत की हैं। दिनांक 05.08.2025 समय 11.00 ए.एम.इस समय मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष परिवादी श्री सद्दाम हुसेन द्वारा उपस्थित होकर अवगत करवाया गया कि "महेन्द्र सिंह ए.एस.आई. व अल्ताफ ने मेरे से 22,000/- रूपये रिश्वत राशि लेने के सम्बन्ध में सम्पर्क नही किया हैं, क्योकि महेन्द्र सिंह ए.एस.आई. व अल्ताफ को अब पुरा शक हो गया हैं कि मुझे झुठे केस में फसाने की शिकायत मैने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय प्रतापगढ को कर दी हैं और महेन्द्र सिंह ए.एस.आई. व अल्ताफ से मेरी वाट्सअप कॉल पर वार्ता हुई थी उस दौरान भी मैने उनको कह दिया था कि आप सभी मिलकर मुझे एन.डी.पी.एस. के केस में फसाना चाह रहे हो इसलिए अब महेन्द्र सिंह ए.एस.आई. व अल्ताफ मेरे से रिश्वत राशि 22,000/-रूपये लेने के सम्बन्ध में बात नही करेंगे।" जिस पर परिवादी श्री सद्दाम हुसेन को अग्रीम कानूनी कार्यवाही के बारे में अवगत करवाया गया तो परिवादी श्री सद्दाम हुसैन द्वारा कहा गया कि मैं अभी बाहर नागदा मध्यप्रदेश जा रहा हुं, तीन-चार दिन में आकर आपसे मिलता हुँ। परिवादी श्री सद्दाम हुसेन को गोपनियता बरतने की आवश्यक हिदायत की गई तथा निर्देशित किया गया कि महेन्द्र सिंह ए.एस.आई. व अल्ताफ द्वारा अगर अब भी रिश्वत राशि लेने के सम्बन्ध में आपसे सम्पर्क किया जाता हैं तो आप तुरन्त मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक या श्री हेमेन्द्र सिंह कानि. को सूचित करें। श्री हेमेन्द्र सिंह कानि. द्वारा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवकाश के दौरान फोन पर बताई गई बातो की परिवादी द्वारा ताईद की गई। दिनांक 11.08.2025 समय 02.00 पी.एम.इस समय परिवादी श्री सद्दाम हुसेन ब्यूरो ईकाई प्रतापगढ हाजिर आया और मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया कि "महेन्द्र सिंह ए.एस.आई. व अल्ताफ ने मेरे से बकाया 22,000/- रूपये रिश्वत राशि लेने के सम्बन्ध में सम्पर्क नही किया हैं, क्योकि महेन्द्र सिंह ए.एस.आई. व अल्ताफ को अब पुरा सक हो गया हैं कि मुझे झुठे केस में फसाने की शिकायत मैने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय प्रतापगढ को कर दी हैं और महेन्द्र सिंह ए.एस.आई. व अल्ताफ से मेरी वाट्सअप कॉल पर वार्ता हुई थी उस दौरान भी मैने उनको कह दिया था कि आप सभी मिलकर मुझे एन.डी.पी.एस. के केस में फसाना चाह रहे हो इसलिए अब महेन्द्र सिंह ए.एस.आई. व अल्ताफ मेरे से रिश्वत राशि 22,000/-रूपये लेने के सम्बन्ध में बात नही करेंगे एवं ना ही मुझसे रिश्वत राशि ग्रहण करेंगे अतः इस सम्बन्ध में आप अग्रिम कानूनी कार्यवाही करें। तथा इस बाबत् परिवादी श्री सद्दाम हुसेन ने एक हस्तलिखित रिपोर्ट इस आशय कि पेश की गई कि " मेरे द्वारा दिनांक 04.07.2025 को आपके कार्यालय में उपस्थित होकर दीपक कुमार बंजारा थानाधिकारी थाना कोतवाली प्रतापगढ व महेन्द्र सिंह ए.एस.आई. थाना कोतवाली प्रतापगढ़ द्वारा मेरे मामा अनवर की मोटर साईकिल पर जबरन एक बेग टांगकर वीडियो बनाकर फर्जी एन.डी.पी.एस. एक्ट का मुकदमा दर्ज करने पर उस मुकदमे में से मोटरसाईकिल को छुडाने व बहनोई शेरू के नाम पर दर्ज मोटरसाईकिल में बहनोई शेरू को मुल्जिम नही बनाने के लिए महेन्द्र सिंह ए.एस.आई. द्वारा मेरे से 30 हजार रूपये रिश्वत राशि पहले लेने एवं 70 हजार रूपये रिश्वत राशि ओर मांगने पर कानूनी कार्यवाही हेतु रिपोर्ट पेश की थी। जिसमें आप द्वारा दिनांक 05.07.2025 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही करवाई गई। उस समय महेन्द्र सिंह ए.एस.आई. थाना कोतवाली प्रतापगढ़ द्वारा मेरे से मांग कर 40,000/- रूपये बतौर रिश्वत राशि प्राप्त किये हैं जो आपके कार्यालय के रिकार्डर में रिकार्ड हैं। दिनांक 06.07.2025 को मेरी श्री महेन्द्र सिंह ए.एस.आई. से वाट्सअप कॉल पर वार्ता हुई हैं जो आपके कार्यालय के रिकार्डर में रिकार्ड हैं। उसके बाद दिनांक 08.07.2025 को आपके कार्यालय में उपस्थित हुआ तथा आप द्वारा आगे की कार्यवाही करवाई जाकर महेन्द्र सिंह स.उ.नि. की मांग अनुसार रिश्वत राशि देने की कार्यवाही करवाई गई तो महेन्द्र सिंह ए.एस.आई. को शक होने से मेरे से रिश्वत राशि प्राप्त नही की। उसके बाद मै मेरे किसी परिचित की शादी के प्रोगाम में गादोला गया हुआ था, उस शादी के प्रोगाम में श्री महेन्द्र सिंह ए.एस.आई. तथा पुलिस थाना कोतवाली प्रतापगढ एवं पुलिस थाना रठांजना के कई सारे पुलिस वाले भी आये हुये थे। उस दिन महेन्द्र सिंह ए.एस.आई. मुझे एक तरफ ले जाकर मिला और कहा कि सद्दाम, उस दिन दिनांक 08.07.2025 को अपने उपर ए.सी.बी. की कार्यवाही हो जाती, मेरे नाम की किसी ने शिकायत ए.सी.बी. में कर दी है, अपन सभी उस दिन बच गये, मैं इसिलिए पैसे लेने तुम्हारे पास नही आया था मैं पैसे लेने आ जाता तो अपन सभी को ए.सी. बी. वाले उस दिन पकड लेते। महेन्द्र सिंह ए.एस.आई. को शक तो हो गया है कि उसकी शिकायत किसी ने ए.सी.बी. में कर दी हैं परन्तु महेन्द्र सिंह ए.एस.आई. को यह शक नही हैं कि उसकी शिकायत मैने ही की है। अब मैं महेन्द्र सिंह ए.एस.आई. से इस 22,000/-रूपये की रिश्वत राशि के बारे में कहुंगा तो महेन्द्र सिंह ए.एस.आई. मेरे पर ही शक करेगा इसलिए मैं महेन्द्र सिंह ए.एस.आई. से इस रिश्वत राशि के बकाया 22,000/-रूपये के बारे में उससे बात नही करूंगा क्योकि महेन्द्र सिंह ए. एस.आई. को पुरा यकिन हो गया हैं कि उसके नाम की किसी ने ए.सी.बी. में शिकायत कर दी हैं। महेन्द्र सिंह ए.एस.आई. व अल्ताफ ने मेरे से बकाया 22,000/- रूप्ये रिश्वत राशि लेने के सम्बन्ध में उसके बाद आज तक सम्पर्क नही किया हैं। दिनांक 30.07.2025 को शाम को मेरे भांजे दाउद को रठांजना थाने की पुलिस फर्जी एम.डी. के केस में पकड लिया जिस पर मेरे द्वारा दिनांक 31.07.2025 को दिपक बंजारा थानाधिकारी थाना कोतवाली प्रतापगढ को वाट्सअप कॉल किया तो उन्होने मिटिंग में होकर बाद में फोन करना बताया लेकिन फोन नही आया। उसी दौरान मैने महेन्द्र सिंह ए.एस.आई को वाट्सअप कॉल किया तो उन्होने मुझे बताया कि सद्दाम भाई आपकी और दिपक कुमार थानाधिकारी थाना रठांजना के बीच लडाई-झगडे वाली फाईल उदयपुर आई.जी. ऑफिस से एस.पी. साहब प्रतापगढ़ के पास पुनः जांच हेतु वापस आ गई हैं, इसलिए

दिपक कुमार थानाधिकारी थाना रठांजना वाले ने यह केस बनाया हैं फिर भी मैं तुम्हारे लिए दिपक कुमार थानाधिकारी थाना रठांजना से बात करता हुं। लेकिन उस दिन महेन्द्र सिंह ए.एस.आई. का वापस फोन नही आया तो मैने दिनांक 31.07.2025 को ही महेन्द्र सिंह ए.एस.आई. को जरिये वाट्सअप कॉल कर कह दिया हैं कि आप सभी मुझे एन.डी.पी.एस. के केस में झुठा फसाना चाह रहे हो, इसलिए मेरी और महेन्द्र सिंह ए.एस.आई. के बीच में अनबन हो गई हैं। उसके बाद दिनांक 31.07.2025 को ही मैने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय प्रतापगढ के कार्यालय में जाकर एस.पी. साहब को रिपोर्ट पेश कर दी। उसी दिन दिनांक 31.07.2025 को शाम को अल्ताफ का मुझे वाट्सअप कॉल आया तो मैने अल्ताफ को भी कह दिया हैं कि तु और दिपक कुमार थानाधिकारी थाना रठांजना व दिपक बंजारा थानाधिकारी थाना कोतवाली प्रतापगढ व महेन्द्र सिंह ए.एस.आई. सभी मुझे एन.डी.पी.एस. के केस में झुठा फसाना चाह रहे हो। महेन्द्र सिंह ए.एस.आई. व अल्ताफ को अब पुरा पता लग गया हैं कि मुझे झुठे केस में फसाने की शिकायत मैने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय प्रतापगढ के सामने जाकर कर दी हैं। इसलिए अब महेन्द्र सिंह ए.एस.आई. व अल्ताफ व दिपक कुमार बंजारा थानाधिकारी थाना कोतवाली प्रतापगढ मेरे से रिश्वत राशि 22,000/-रूपये लेने के सम्बन्ध में बात नही करेंगे एवं ना हि मुझसे रिश्वत राशि ग्रहण करेंगे। अतः इस सम्बन्ध में आप अग्रीम कानूनी कार्यवाही करें।" अतः परिवादी को पुरा यकिन हैं कि महेन्द्र सिंह ए.एस.आई. को शक हो गया हैं, जिसके कारण रंगे हाथों पकडवाने की कार्यवाही नही हो सकती हैं।परिवादी द्वारा दिनांक 04.07.2025 को प्रस्तुत रिपोर्ट पर अब अग्रीम ट्रेप कार्यवाही किया जाना सम्भव नही होने से असफल ट्रेप कार्यवाही में प्रकरण पंजीबद्ध कराने हेतु अग्रीम कार्यवाही के लिये 2 स्वतन्त्र गवाह की आवश्यकता होने से श्री हेमेन्द्र सिंह कानि. को वास्ते इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1151 दिनांक 11.08.2025लेकर स्वतन्त्र गवाहान पाबन्द करने हेतुकार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग वृत-प्रतापगढ़ जिला प्रतापगढ रवाना किया गया। दिनांक 11.08.2025 समय 02.30 पी.एम. इस समय हेमेन्द्र सिंह कानि. नं. 82 रवानाशुदा उपस्थित ब्यूरो हो अवगत करवाया कि ब्यूरो कार्यालय से रवाना हो कार्यालय वाणि9ज्यिक कर अधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग वृत-प्रतापगढ़ जिला प्रतापगढ पहुंच कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग वृत-प्रतापगढ़ जिला प्रतापगढके पत्र क्रमांक 101 दिनांक 11.08.2025 द्वारा श्री अभिमन्यु सिंह पूरावत पिता भानूप्रताप सिंह पूरावत जाति राजपूत उम्र 30 साल निवासी जाजली थाना अरनोद जिला प्रतापगढ हाल कनिश्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी, कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, वृत-प्रतापगढ़ एवं श्री कालु निनामा पिता कानजी निनामा जाति मीणा उम्र 33 साल निवासी तेजपुर थाना सदर बांसवाडा जिला बांसवाडा हाल वरिश्ठ सहायक, कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, वृत-प्रतापगढ़ का पत्र प्राप्त कर स्वतन्त्र गवाहानों को पाबन्द कर हाजिर ब्यूरो हुआ। दिनांक 11.08.2025 समय 02.40 पी.एम. इस समय श्री अभिमन्यू सिंह पूरावत पिता भानूप्रताप सिंह पूरावत जाति राजपूत उम्र 30 साल निवासी जाजली थाना अरनोद जिला प्रतापगढ हाल कनिश्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी, कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, वृत-प्रतापगढ़ एवं श्री कालु निनामा पिता कानजी निनामा जाति मीणा उम्र 33 साल निवासी तेजपुर थाना सदर बांसवाडा जिला बांसवाडा हाल वरिश्ठ सहायक, कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, वृत-प्रतापगढ़ पूर्व के तलबशुदा उपस्थित ब्यूरो कार्यालय हुये। दोनों गवाहों को कार्यालय में सुरक्षित बिठाया गया।दिनांक 11.08.2025 समय 02.50 पी.एम. इस समय श्री अभिमन्यू सिंह पूरावत पिता भानूप्रताप सिंह पूरावत जाति राजपूत उम्र 30 साल निवासी जाजली थाना अरनोद जिला प्रतापगढ हाल कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी, कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, वृत-प्रतापगढ़ एवं श्री कालु निनामा पिता कानजी निनामा जाति मीणा उम्र 33 साल निवासी तेजपुर थाना सदर बांसवाडा जिला बांसवाडा हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, वृत-प्रतापगढ़ दोनो स्वतन्त्र गवाहों को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का परिचय देने के बाद कक्ष में बैठे परिवादी श्री सद्दाम हुसैन से परिचय करवाया तथा हेमेन्द्र सिंह कानि. नं. 82 से परिवादी श्री सद्दाम हुसेन द्वारा दिनांक 04.07.2025 को प्रस्तुत रिपोर्ट मंगवाई गई, जिसे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष दोनो स्वतन्त्र गवाहो ने परिवादी की उपस्थिति में पढा तथा परिवादीगणों द्वारा आज दिनांक 11.08.2025 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं स्वतन्त्र गवाहो ने पढकर अपने-अपने हस्ताक्षर किये।दिनांक 11.08.2025 समय 03.20 पी.एम.इस समय मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री सद्दाम हुसेन द्वारा श्री महेन्द्र सिंह स. उ.नि. थाना कोतवाली प्रतापगढ़ जिला प्रतापगढ़ को दी जाने वाली रिश्वती राशि 22,000/-रूपये को सुपूर्द करने हेतु श्री दिलीप कुमार कानि. मालखाना प्रभारी से मंगवाये जाकर हुबहु उपरोक्त रिश्वती राशि 22,000/-रूपये जिस पर फिनॉफ्थलिन पाउडर लगा हुआ है को अच्छी तरह से झाडकर/साफ कर जरिये फर्द सुपूर्दगी परिवादी श्री सद्दाम हुसेन को सुपूर्द किये गये तथा उक्त कार्यवाही में उपस्थित समस्त स्टाफ के हाथ साबुन से धुलवाये गये। परिवादी को आवश्यक हिदायत दी गई। उक्त फर्द सुपूर्दगी रिश्वत राशि को सम्बन्धित ने पढकर सभी ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। श्री ईश्वरलाल कानि नं 320 से ब्यूरो कार्यालय के मोबाईल मय मेमोरी कार्ड में उक्त कार्यवाही की विडियों रिकॉर्डिंग करवाई गई।दिनांक 11.08.2025 समय 03.50 पी.एम. इस समय दर्ज रहे कि श्री महेन्द्र सिंह स.उ.नि. थाना कोतवाली प्रतापगढ के विरूद्ध की जा रही ट्रेप कार्यवाही में मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतन्त्र गवाहानों के समक्ष परिवादी की उपस्थित में श्री

ईश्वरलाल कानि नं 320 से ब्यूरो कार्यालय के मोबाईल में मेमोरी कार्ड लगवाया जाकर उक्त कार्यवाही की विडियों रिकॉर्डिंग करवाई गई थी। उक्त ब्यूरो कार्यालय के मोबाईल मय मेमोरी कार्ड को ब्यूरो के मालखाने से मंगवाया जाकर ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप मे श्री ईश्वरलाल कानि. नम्बर 320 से कनेक्ट करा मेमोरी कार्ड की हेश वेल्यू नियमानुसार निकलवाकर वार्तालाप की दो पेनड्राईव KDM कम्पनी बरंग सील्वर 8 जीबी तैयार की जाकर हेश वेल्यू नियमानुसार निकलवाई जाकर एक पर न्यायालय पेन ड्राईव तथा दूसरी पर आई.ओ. पेनड्राईव लिखा जाकर न्यायालय पेनड्राईव अलग कवर में रखा जाकर एक सफेद कपड़े की थेली में रखकर नियमानुसार सिलचिट बंद कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा पृथक से जरिये फर्द जब्त कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया तथा आई.ओ. पेन ड्राईव को अलग लिफाफे में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सुरक्षित रखा गया। दिनांक 11.08.2025 समय 04.20 पी.एम. इस समय दर्ज रहे कि श्री महेन्द्र सिंह स.उ.नि. थाना कोतवाली प्रतापगढ के विरूद्ध की जा रही ट्रेप कार्यवाही में मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतन्त्र गवाहानों के समक्ष परिवादी की उपस्थित में श्री ईश्वरलाल कानि नं 320 से ब्यूरो कार्यालय के मोबाईल में नया मेमोरी कार्ड लगवाया जाकर उक्त कार्यवाही की विडियों रिकॉर्डिंग करवाई गई थी। उक्त ब्यूरो कार्यालय के मोबाईल मे मे श्री दिलीप कुमार कानि. नं. 319 प्रभारी मालखाना से मूल ही मेमोरी कार्ड निकलवाया गया तो मेमोरी कार्ड बरंग काला 08 जी.बी. जिस पर KDM लिखा हुआ है। उक्त मूल मेमोरी कार्ड को जरिये फर्द वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया जाकर एक सफेद कलर की कपडे की थेली में रखकर सिलचिट कर नियमानुसार मार्क M-2 अंकित कर जब्त किया गया। उक्त फर्द को सम्बन्धित ने पढ़कर अपने-अपने हस्ताक्षर किये।दिनांक 11.08.2025 समय 05.00 पी.एम. इस समय ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर एवं जब्त शुदा समस्त माल/सामान/मोबाईल को श्री दिलीप कुमार कानि. से सुरक्षित मालखाने में रखवाया गया एवं स्वतन्त्र गवाहान श्री अभिमन्यू सिंह पूरावत कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी, कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, वृत-प्रतापगढ़ एवं श्री कालु निनामा वरिष्ठ सहायक, कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, वृत-प्रतापगढ़ एवं परिवादी श्री सद्दाम हुसेन को बाद कार्यवाही के आवश्यक हिदायत कर रूखसत किया गया। गोपनीय सूत्र के अनुसार श्री महेन्द्र सिंह स.उ.नि. थाना कोतवाली प्रतापगढ़ जिला प्रतापगढ़ व अन्य की आय से अधिक सम्पति अर्जित करने की जानकारी प्राप्त होने से आय से अधिक सम्पती की जांच अति आवश्यक होने से प्रकरण पंजीबद्ध होने पर खाना तलाशी की कार्यवाही की जावेगी। अतः परिवादीकी लिखित रिपोर्ट, फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता एवं गोपनीय जानकारी से श्री महेन्द्र सिंह स.उ.नि. थाना कोतवाली प्रतापगढ़ जिला प्रतापगढ़ द्वारा परिवादी को एन.डी.पी.एस. प्रकरण में फसाने तथा परिवादी के बहनोई की एन.डी.पी.एस. प्रकरण में जब्त मोटरसाईकिल छुडाने के बदले रिश्वत राशि की स्पष्ट मांग होने एवं सत्यापन के दौरान रिश्वत राशि 40,000 हजार रूपये प्राप्त करने से आरोपी श्री महेन्द्र सिंह स.उ.नि. थाना कोतवाली प्रतापगढ़ जिला प्रतापगढ़व अन्य के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की धारा 7 का अपराध प्रमाणित होने से प्रकरण पंजीबद्ध करवाने हेतु रिपोर्ट श्रीमान की सेवामें अग्रेषित हैं। भवदीय (विक्रम सिंह) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रतापगढ़.............कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री विक्रम सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रतापगढ़ ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री महेन्द्र सिंह पिता श्री विजय सिंह जाती राजपुत उम्र 46 वर्ष निवासी आदर्श कॉलोनी, कुम्भा नगर चितौडगढ, सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना कोतवाली जिला प्रतापगढ हाल पुलिस लाईन प्रतापगढ जिला प्रतापगढ एवं अन्य के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री विक्रम सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौडगढ को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 310 पर अंकित है।(महावीर प्रसाद शर्मा) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर। क्रमांक 1365-68 दिनांक 17-09-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:–1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, प्रतापगढ। 2-उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर। 3-पुलिस अधीक्षक, जिला प्रतापगढ 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, प्रतापगढ़। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Vikram Singh Rathore **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by Mahaveer Prasad Sharma
Location Rajasthan,IN
Date 1[illegible]/2025 [illegible]

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): MAHAVEER PRASAD
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	06/12/1978				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)